सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 6, गुरूवार, *शाके* 1942–फरवरी 25, 2021 *Phalguna 6, Thursday, Saka 1942- February 25, 2021*	

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 25, 2021

संख्या एफ. 13(05)विशा/विस/2021 :-राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021 जैसा कि दिनांक 25 फरवरी, 2021 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

2021 का विधेयक सं. 5

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया)

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 89 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 89 की उप-धारा (2) में,-

(क) खण्ड (i) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ग्राम सेवक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ग्राम विकास अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान खण्ड (ii) हटाया जायेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् सेवा के गठन का उपबंध करती है। उक्त धारा की उप-धारा (2) सेवा में पदों के विभिन्न प्रवर्ग अधिकथित करती है।

राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 89 की उप-धारा (2) के खण्ड (i) में उल्लिखित ग्राम सेवक का पदनाम परिवर्तित करके ग्राम विकास अधिकारी करने का विनिश्चय किया है। धारा 89 की उप-धारा (2) के खण्ड (ii) में उल्लिखित ग्राम सेविकाओं का पद पंचायती राज संस्थाओं में विद्यमान नहीं है, इसलिए उक्त विद्यमान उपबंध को हटाये जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 89 की उप-धारा (2) को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

Bill No. 5 of 2021

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2021

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 89, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In sub-section (2) of section 89 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994),-

(a) in clause (i), for the existing expression "village level workers", the expression "Gram Vikas Adhikari" shall be substituted; and

(b) the existing clause (ii) shall be deleted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 89 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 provides for constitution of Rajasthan Panchayat Samiti and Zila Parishad Service. Sub-section (2) of the said section lays down the different categories of posts in the service.

The State Government has decided to change the designation of the post of village level workers mentioned at clause (i) of sub-section (2) of section 89 of the Act to Gram Vikas Adhikari. The post of Gramsevikas mentioned at clause (ii) of the sub-section (2) of section 89 does not exist in Panchayati Raj Institutions, therefore the said existing provision needs to be deleted. Accordingly, sub-section (2) of section 89 of the Act is proposed to be amended suitably.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil Kumar Mathur,
Secretary.

Government Central Press, Jaipur.